प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-443/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0प्रशा0(ग्रेच्युटी)/2021-22, दिनांक 10-09-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा ऑकडों की शुद्वता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियम संगत व्यय एवं निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-ई-2-1229/दस-2021-2022 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव!

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
7- ग्राम्य विकास अनु0-3
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।